



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1086 वर्ष 2026

कोमिल एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार पांडेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, विवेक श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र कुमार पांडेय, प्रत्यर्थी संख्या 5 से 9 के विद्वान अधिवक्ता श्री अयूब खान तथा श्री विवेक श्रीवास्तव एवं राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री टी.पी. गुप्ता को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"(i) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा अभिलेख मंगवाते हुए दिनांक 18.11.2025 को राजस्व परिषद द्वारा पुनरीक्षण संख्या 4841 वर्ष 2025 में पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए।

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-3 को निर्देशित किया जाए कि वह विभाजन वाद का निस्तारण दिनांक 02.09.2025 को अपर आयुक्त (द्वितीय), मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन/निर्देश के अनुसार करे, तथा उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त माना जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा राजस्व परिषद को निर्देशित किया जाए कि वह उक्त पुनरीक्षण का निस्तारण बिना अंतरिम स्थगन को जारी रखे, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर करे। "

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण के पक्ष में आयुक्त के समक्ष दो बार पुनरीक्षण प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें स्वीकार करते हुए मामला पुनः उपजिलाधिकारी के समक्ष उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत वाद का निस्तारण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया था। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश के विरुद्ध निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है, जिसे अवैधानिक रूप से ग्रहण कर लिया गया है तथा उसमें अंतरिम संरक्षण प्रदान किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि पुनरीक्षण में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाए तथा पुनरीक्षण का निस्तारण विधि अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाए। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अपर आयुक्त द्वारा अपील में प्रत्यावर्तन आदेश पारित करते समय अभिलिखित निष्कर्षों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यावर्तन आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है।

4. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी संख्या 5 से 9 के विद्वान अधिवक्ता श्री अयूब खान तथा श्री विवेक श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण को ग्रहण करने तथा उसमें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले आदेश के विरुद्ध रिट याचिका पोषणीय नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्तागण को राजस्व परिषद के समक्ष पुनरीक्षण कार्यवाही में भाग लेने का अवसर उपलब्ध है, अतः इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के समक्ष लंबित है तथा उसमें अंतरिम आदेश प्रभावी है।

7. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है, उसका निस्तारण विधि अनुसार यथाशीघ्र किया जाना अपेक्षित है तथा पुनरीक्षण की लंबित अवधि तक पारित अंतरिम आदेश को यथावत बनाए रखा जाना उचित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निजी प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त पुनरीक्षण का निस्तारण यथाशीघ्र, यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह के अन्तर्गत, पक्षकारों को अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना किया जाए। यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त पुनरीक्षण में राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा पारित अंतरिम आदेश, पुनरीक्षण के लंबित रहने तक प्रभावी एवं यथावत बना रहेगा।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

17 मार्च, 2026

वंदना वाई.